"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 470] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 सितम्बर 2015—— भाद्रपद 27, शक 1937

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2015

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5–12/आठ–परि./2006.— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 28, 65, 96 तथा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, प्रमुख सचिव (परिवहन), छत्तीसगढ़ शासन, कक्ष क्र.–एस 4/3 मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जाएगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,–

1. नियम 24 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"**24. शुल्क**– इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा–

सारणी

स. क्र.	प्रयोजन	रकम (रू.)
1	चिकित्सा प्रमाणपत्र जारी किये जाने के संबंध में	50.00
2	शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति के संबंध में	50.00
3	चालन अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी किये जाने के संबंध में (प्ररूप 7 में)	200.00
4	परिवहन यान के चालक को प्राधिकार पत्र जारी किये जाने के संबंध में	200.00
5	अनुज्ञापन प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील किये जाने के संबंध में	100.00
6	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय की प्रति, प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	100.00
	(दो) अति—आवश्यक	150.00
7	अनुज्ञापन प्राधिकारी के निर्णय से भिन्न किसी दस्तावेज की प्रति, प्रदाय किये जाने के संबंध में—	
	(एक) सामान्य	150.00
	(दो) अति—आवश्यक	200.00"

2. नियम 62 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

"62. शुल्क— इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा—

सारणी

स. क्र.	प्रयोजन	रकम (रू.)
1	अस्थायी पंजीकरण का जारी किया जाना या उसके विस्तार और अस्थायी पंजीकरण चिन्ह का समनुदेशन—	
	(क) अशक्त यान	10.00
	(ख) मोटर सायकल या मोटर सायकल रिक्शा	150.00
	(ग) हल्का मोटरयान	
	(1) निजी	250.00
	(2) परिवहन	500.00
	(घ) मध्यम मोटरयान अथवा कोई अन्य यान जो ऊपर वर्णित न हो	350.00
2	अपील	200.00
3	विनिश्चय / दस्तावेज / आदेश की प्रमाणित प्रति	
	(एक) सामान्य	150.00
	(दो) अति—आवश्यक	200.00
4	रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे जारी करने के लिये	150.00
5	उपयुक्तता प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिये	
	(एक) हल्का मोटरयान	
	1. गैर परिवहन यान	100.00

	2. परिवहन यान	200.00
	(दो) मध्यम माल यान, मध्यम यात्री यान	450.00
	(तीन) भारी माल यान, भारी यात्री यान	500.00''

3. नियम 145 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''**145. शुल्क**– इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित किया जाने वाला शुल्क, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा–

सारणी

स. क्र.	प्रयोजन	रकम (रू.)
1	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
2	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
3	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके नवीकरण हेतु किसी आवेदन के संबंध में	2500.00
4	ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने या उसके प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
5	प्रायवेट सेवा यान के लिये अनुज्ञा पत्र के दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
6	मोटर कैब के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1500.00
7	मोटर कैब के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	1500.00
8	मालयान के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
9	मालयान के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/प्रतिहस्ताक्षर के नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
10	मालयान के लिये नेशनल परमिट (राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र) दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
11	पर्यटक यान (ओमनी बस) के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2500.00
12	अखिल भारतीय पर्यटक टैक्सी कैब के लिये अनुज्ञा पत्र दिये जाने/नवीकरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
13	मोटर कैब से भिन्न परिवहन यान के लिये अस्थायी अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संबंध में– (क) धारा 87 (1) (क) के अधीन यात्री वाहन के लिए (ख) धारा 87 (1) (ख) के अधीन यात्री वाहन के लिए (ग) धारा 87 (1) (ग) के अधीन यात्री वाहन के लिए (घ) धारा 87 (1) (घ) के अधीन यात्री वाहन के लिए	 400.00 1000.00 1000.00 1000.00
14	मोटर कैब के अस्थायी अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में	250.00
15	धारा 88 (8) के अधीन विशेष अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन के संबंध में– (क) 07 दिवस तक की कालावधि के लिए (ख) 07 दिवस से अधिक, 15 दिवस तक की कालावधि के लिए (ग) 15 दिवस से अधिक की कालावधि के लिए	 650.00 1500.00 2000.00
16	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र में क्षेत्र या मार्गो के विस्तारण या उसमें फेरफार करने या उस अनुज्ञा पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध मे	2000.00

17	मंजिली गाड़ी/आरक्षित मंजिली गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र के समय में परिवर्तन हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
18	अस्थायी अनुज्ञा पत्र के प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन के संबंध में (क) मोटर कैब के लिए (ख) किसी अन्य परिवहन यान के लिए	 650.00 1500.00
19	चार मास से अनधिक कालावधि के लिए किसी यान के अस्थायी प्रतिस्थापन की मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
20	मंजिली गाड़ी/ठेका गाड़ी के लिये अनुज्ञा पत्र में, किसी यान के प्रतिस्थापन की मंजूरी दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
21	धारा 82 के अधीन मोटर कैब से भिन्न प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में	2000.00
22	धारा 82 के अधीन मोटर कैब के प्रत्येक अनुज्ञा पत्र के हस्तांतरण हेतु आवेदन के संबंध में	1000.00
23	अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
24	अस्थायी अनुज्ञा पत्र की द्वितीय प्रति जारी करने हेतु आवेदन के संबंध में	500.00
25	अपील या पुनरीक्षण के संबंध में (1) निम्नलिखित के आदेश के विरूद्ध अपील के ज्ञापन हेतु (क) राज्य परिवहन प्राधिकारी (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी (2) निम्नलिखित के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण हेतु आवेदन के संबंध में– (क) राज्य परिवहन प्राधिकारी (ख) प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी	 650.00 650.00 650.00 650.00
26	स्थगन हेतु आवेदन के संबंध में यदि उस बाबत अपील के ज्ञापन/पुनरीक्षण के आवेदन के साथ फाईल किया जाता है	300.00
27	अपील प्राधिकारी, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के दस्तावेजों की प्रतियों का प्रदाय किये जाने के संबंध में– (क) अपील प्राधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के निर्णय या आदेश की प्रतिलिपि प्रदाय करने के लिये– (एक) सामान्य (दो) अति–आवश्यक	 प्रथम पृष्ठ के लिए रू. 40,00 पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिए रू. 20.00 प्रथम पृष्ठ के लिए रू 90.00 पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिए रू. 40.00

	(ख) अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी के अभिलेख के किन्ही अन्य दस्तावेजो के लिये–	
	(एक) सामान्य	प्रथम पृष्ठ के लिए रू. 40.00 पश्चात्वर्ती प्रत्येक पृष्ठ के लिए रू. 20.00
	(दो) अति–आवश्यक	प्रथम पृष्ठ के लिए रू. 90.00 तत्पश्चात् प्रत्येक पृष्ठ के लिए रू. 40.00
28	अपील अधिकरण, राज्य परिवहन प्राधिकारी, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी या इन प्राधिकारियों के सचिव को संबोधित किसी अन्य प्रकीर्ण आवेदन के संबंध में	50.00

<u>टीपः</u>–

1. कॉलम 25, 26, 27 एवं 28 में यथा विनिर्दिष्ट आवेदन के संबंध में शुल्क का संदाय, यथा विनिर्दिष्ट मूल्य के बराबर की न्यायिक स्टॉम्प चिपकाकर किया जा सकेगा।
2. नियम 145 के खण्ड 8 और 13 में यथा विनिर्दिष्ट अनुज्ञा पत्र दिये जाने/नवीनीकरण करने हेतु या अस्थायी अनुज्ञा पत्र दिये जाने हेतु आवेदन के संबंध में कोई फीस संदेय नहीं होगी यदि आवेदक, वास्तविक कृषक हो एवं अपने स्वामित्व के ट्रेक्टर या अनुयान के लिए आवेदन प्रस्तुत किया हो।
3. नियम 145 के अंतर्गत प्रस्तावित शुल्क का 50 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गो तथा अल्पसंख्यक समुदाय के ऐसे आवेदकों के द्वारा देय होगा जो ऐसी विभिन्न स्कीमों तथा शर्तों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, के अधीन ऋण लेने के पश्चात् क्रय किये गये तथा उसके स्वामित्व के वाहन के लिए आवेदन प्रस्तुत करते हों।
4. छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के संवर्ग के आवेदक, नियम 145 के अंतर्गत निर्धारित शुल्क का केवल 50 प्रतिशत, संदत्त करेंगे।

<u>स्पष्टीकरण</u>–

(1) अभिव्यक्ति "वास्तविक कृषक" का वही अर्थ होगा जो कि छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) में उनके लिये समनुदेशित है।

(2) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदक, स्थायी अथवा अस्थायी अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति एवं उसके नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये जाति प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, The 14th September 2015

NOTIFICATION

No. F 5-12/viii-Trans/2006.— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994 which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 28, 65, 96, and 211, of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period in office hours in the office of Principal Secretary, Department of Transport, Government of Chhattisgarh, Mahanadi Bhawan, Mantralaya, Naya Raipur (Room No.S4-3) will be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 24, the following shall be substituted, namely:-

"**24. Fees-** the fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the Table below-

TABLE

S. No.	Purpose	Amount (Rs.)
1	In respect of issue of Medical Certificate	50.00
2	In respect of duplicate Learner's License	50.00
3	In respect of issue of duplicate Driving License- (In form 7)	200.00
4	In respect of issue of authorization to the driver of a transport vehicle.	200.00
5	In respect of an appeal against the order of the Licensing Authority	100.00
6	In respect of supplying a copy of the decision of the Licensing Authority – (One) Ordinary (Two) Urgent	100.00 150.00
7	In respect of supply of copy of a document other than the decision of the Licensing Authority – (One) Ordinary (Two) Urgent	150.00 200.00"

2. For rule 62, the following shall be substituted, namely:-

"**62. Fees**- the fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the Table below-

TABLE

S.No.	Purpose	Amount (Rs.)
1	Issue of temporary registration or extension thereof and assignment of temporary registration mark –	
	(A) Invalid Carriage	10.00
	(B) Motor Cycle or Motor Cycle Rickshaw	150.00
	(C) Light Motor Vehicle	
	(1) Private	250.00
	(2) Transport	500.00
	(D) Medium Motor Vehicle or any other vehicle not mentioned above	350.00
2	Appeal	200.00
3	Certified copy of the decision/document/order	
	(One) Ordinary	150.00
	(Two) Urgent	200.00
4	Issue of particulars of registration	150.00
5	Issue of duplicate copy of certificate of fitness	
	(One) Light Motor Vehicle	
	1. Non Transport Vehicles	100.00
	2. Transport Vehicles	200.00
	(Two) Medium Goods vehicle, Medium passenger Vehicle.	450.00
	(Three) Heavy Goods vehicle, Heavy passenger Vehicle.	500.00"

3. For rule 145, the following shall be substituted, namely:-

"**145. Fees-** the fees which shall be charged under the provision of this Chapter shall be as specified in the Table below-

TABLE

S. No.	Purpose	Amount (Rs.)
1	In respect of an application for grant or renewal of Stage Carriage/reserve Stage carriage permit	2500.00
2	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of Stage carriage/reserve stage carriage permit	2500.00
3	In respect of an application for grant or renewal of contract carriage permit	2500.00
4	In respect of an application for grant or renewal of countersignature of contract carriage permit	2500.00
5	In respect of an application for grant/renewal of private service vehicle permit	2500.00
6	In respect of an application for grant/renewal of Motor Cab permit	1500.00
7	In respect of grant/renewal of countersignature of Motor Cab permit	1500.00
8	In respect of an application for grant/renewal of Goods Carriage permit.	2000.00

9	In respect of an application for grant/renewal of a Countersignature of goods carriage permit	2000.00
10	In respect of an application for grant/renewal of a national permit for goods carriage	2000.00
11	In respect of an application for grant/renewal of a tourist vehicle (Omni bus) permit	2500.00
12	In respect of an application for grant/renewal of all India Tourist Taxi cab permit	2000.00
13	In respect of an application for Temporary permits for a Transport Vehicle other than a Taxi Cab- (A) Under Section 87 (1) (a) for Passenger Vehicle (B) Under Section 87 (1) (b) for Passenger Vehicle (C) Under Section 87 (1) (c) for Passenger Vehicle (D) Under Section 87 (1) (d) for Passenger Vehicle	 400.00 1000.00 1000.00 1000.00
14	In respect of an application for grant of a Temporary permit for Motor Cab	250.00
15	In respect of an application for a Special Permit under Section 88 (8) - (A) For the period up to 07 days (B) For the period exceeding 07 days up to 15 days (C) For the period exceeding 15 days	 650.00 1500.00 2000.00
16	In respect of an application for extension or variation in area or routes on a Permit or Countersignature of Stage Carriage/Contract Carriage permit	2000.00
17	In respect of an application for change of timing of Stage Carriage/reserve stage Carriage permit	2000.00
18	In respect of an application for Countersignature of a Temporary Permit (A) For Motor Cab (B) For any other Transport Vehicle	 650.00 1500.00
19	In respect of an application for grant of temporary replacement of vehicle for the period not exceeding four month	1000.00
20	In respect of an application for grant of replacement of vehicle in the Stage or Contract Carriage permit	1000.00
21	In respect of an application for transfer of each permit other than a Motor Cab under Section 82	2000.00
22	In respect of an application for transfer of each permit of a Motor Cab under Section 82	1000.00
23	In respect of an application for issue of a duplicate copy of the permit	500.00
24	In respect of an application for issue of a duplicate copy of a temporary permit	500.00
25	In respect of Appeal or Revision (1) Memorandum of appeal against the order of the following - (A) State Transport Authority (B) Regional Transport Authority	 650.00 650.00

	(2) In respect of an application for revision against the order of the following – (A) State Transport Authority (B) Regional Transport Authority	 650.00 650.00
26	In respect of an application for stay if filed with the memorandum of appeal/ application for revision	300.00
27	In respect of supply of copies of documents of Appellate Authority, State Transport Authority and Regional Transport Authority- (A) For supply of copy of Judgment or order of the Appellate Authority, State Transport Authority, or Regional Transport Authority-	
	(i) Ordinary	Rs. 40.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page
	(ii) Urgent	Rs. 90.00 for the first page and Rs. 40.00 for each subsequent page.
	(B) Any other documents of the record of Appellate Tribunal, State Transport Authority, or Regional Transport Authority –	
	(i) Ordinary	Rs. 40.00 for the first page and Rs. 20.00 for each subsequent page.
	(ii) Urgent	Rs. 90.00 for the first page. and Rs. 40.00 for each subsequent page
28	In respect of any other miscellaneous application which addressed to the Appellate Tribunal, State Transport Authority, Regional Transport Authority or the Secretary of these Authorities	50.00

Note:-

1. Fee in respect of application as specified in column 25, 26, 27, and 28 may be paid by way of affixing judicial stamps of the same value as specified.
2. No fee shall be payable in respect of an applications for grant/ renewal of permit or for grant of temporary permit as specified in clause 08 and 13 of Rule 145 if the applicant is a bona fide agriculturist and has made an application for tractor or trolley owned by him.
3. Only 50 percent of the proposed fee under rule 145 shall be payable by the applicants belonging to SC/ST/OBC categories and minority community who make an application for vehicles, purchased out of loans and under their ownership, obtained under such schemes and conditions as specified by the State Government, from time to time.
4. Applicant of SC/ST category of Chhattisgarh shall have to pay only 50% of the specified fee under rule 145.

Explanation-

(1) The expression " bona fide agriculturist " shall have the same meaning assigned to it in the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959)

(2) The applicants of SC/ST shall submit the application for grant of permanent or temporary permit and its renewal with certified copy of the caste certificate issued by the Competent Authority of State of Chhattisgarh."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIJAY KUMAR DHURVE, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2015.